# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
# 2023-24

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड
फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
# वर्ष 2023–24

## राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेन्स एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़, जयपुर

प्रथम तल, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, 2–2ए, झालाना डूंगरी,
जयपुर (राजस्थान)–302004

**E-mail:- rspfcl@rajasthan.gov. in** **Tel.No.: +91-141-2708611**

# अनुक्रमणिका


| क्र.स. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | कॉरपोरेशन : एक परिचय | 1 |
| 2. | संगठनात्मक ढाँचा | 3 |
| 3. | स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण | 4 |
| 4. | प्रमुख कार्य एवं प्रगति एवं विगत तीन वर्षों की तुलना | 6 |
| 5. | वर्ष 2023–24 की विशेष उपलब्धियाँ | 11 |
| 6. | सार– संक्षेप | 11 |
| 7. | दूरभाष निर्देशिका | 12 |

# कॉरपोरेशन : एक परिचय

## गठन

राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSPFCL) का गठन मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 04.10.2012 की पालना में किया जाकर इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (Public Limited Company) के रूप में पंजीकृत कराया गया।

कॉरपोरेशन को गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (Non-Banking Financial Company) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.2013 को जारी किया।

पुनः मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 196/2015 दिनांक 14.10.2015 द्वारा इस कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। पुनर्गठित कॉरपोरेशन का नवीन नाम राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance & Financial Services Corporation Ltd.) किया गया।

राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि जिसे वे बैंकों में सावधि (Fixed Deposit) जमा कराकर ब्याज अर्जित करते हैं, को इस कॉरपोरेशन में जमा करवाने का प्रावधान किया गया। इस जमा राशि पर उन्हें कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दर पर ब्याज दिये जाने का भी प्रावधान किया गया। कॉरपोरेशन के पास उपलब्ध एवं एकत्र ऐसी धनराशि से राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों को उनकी आवश्यकता होने पर लघु अवधि के ऋण, बाजार दर से कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

पुनर्गठन उपरांत कम्पनी का नवीन नाम रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के रिकार्ड में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनर्गठित कम्पनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करते रहने के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिनांक 24.11.2016 को जारी किया।

# उद्देश्य

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

- राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेशन को उपलब्ध अंशपूँजी (Equity) एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि का राज्य के अन्य उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये अधिकतम उपयोग किया जाना।
- जिन राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की आवश्यकता हो उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।
- राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की प्राप्ति हेतु बैंकों पर निर्भरता में कमी लाना।
- राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाकर राजकीय प्रत्याभूति (Government Guarantees) पर ऋणों की निर्भरता में कमी लाना।
- विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण/संरक्षण की परियोजनाओं की विद्युत कम्पनियों द्वारा स्थापना, संचालन तथा रखरखाव हेतु सीधे तौर पर, परोक्ष रूप से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं की साझेदारी में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- विद्युत उत्पादन, प्रसारण अथवा वितरण कम्पनियों को cables, transformers, conductors, उपकरण एवं मशीनरी, भवन, वाहन, भूमि, बिजली इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करना।
- राज्य में स्थापित विद्युत कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बॉण्ड्स हेतु प्रत्याभूति देना एवं इन्हें underwrite करना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋणों, बॉण्ड्स, शेयर्स अथवा पूँजी निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना।
- संसाधन विकसित करने की दृष्टि से स्वयं अथवा अन्य किसी कम्पनी के साथ Property Development and Management का कार्य करना।
- विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई गतिविधियों, जैसे कोयला एवं अन्य खनन इत्यादि जिसका उपयोग विद्युत परियोजनाओं के ईंधन के रूप में किया जाना है, हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- राज्य की विद्युत कम्पनियों को आवश्यक अध्ययन सम्पादित करवाने के लिये consultancy services उपलब्ध कराना।

# संगठनात्मक ढाँचा

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका प्रशासनिक विभाग राजस्थान सरकार का वित्त विभाग है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार इसके पदेन अध्यक्ष हैं तथा वर्तमान में शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, प्रबंध निदेशक हैं।

वर्तमान में कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्नानुसार हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग | प्रबंध निदेशक |
| 3. | अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग | निदेशक |
| 4. | शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग | निदेशक |
| 5. | आयुक्त, वाणिज्यक / कर विभाग | निदेशक |
| 6. | शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग | निदेशक |
| 7. | प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम | निदेशक |
| 8. | प्रबंध निदेशक, रीको | निदेशक |
| 9. | संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग | निदेशक |
| 10. | श्री प्रदीप कुमार बोरड़ | स्वतंत्र निदेशक |
| 11. | श्री लीलाधर शर्मा | स्वतंत्र निदेशक |

# स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

कॉरपोरेशन के पुनर्गठन उपरांत राज्य सरकार द्वारा 32 विभिन्न पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत 32 पदों में से 25 पद प्रतिनियुक्ति से, 6 पदों पर विशेष चयन से एवं 1 पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान है। स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों का विवरण (31.12.2023 की स्थिति) निम्नानुसार है–

| क्र.स. | पदनाम | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यकारी निदेशक | 01 | 00 | 01 |
| 2. | महाप्रबंधक (वित्त)* | 01 | 01 | – |
| 3. | महाप्रबंधक (सिस्टम) | 01 | 01 | – |
| 4. | महाप्रबंधक (HR/Adm/Vig.) | 01 | 00 | 01 |
| 5. | महाप्रबंधक (क्रेडिट एवं निवेश) | 01 | 00 | 01 |
| 6. | महाप्रबंधक (फंड़ मोबिलाइजेशन और बैंकिंग ) | 01 | 00 | 01 |
| 7. | अतिरिक्त महाप्रबंधक (बैंकिंग) | 01 | 00 | 01 |
| 8. | सहायक महाप्रबंधक (Adm/HR) | 01 | 01 | – |
| 9. | सहायक महाप्रबंधक (लेखा)* | 01 | 01 | – |
| 10. | कंपनी सचिव ** | 01 | 01 | – |
| 11. | प्रबंधक (बजट एवं उपापन) | 01 | 01 | – |
| 12. | प्रबंधक (लेखा एवं ऑडिट) | 01 | 00 | 01 |
| 13. | प्रबंधक (लेखा) | 01 | 01 | – |
| 14. | प्रबंधक (फंड मोबिलाईजेशन और पुनर्भुगतान | 01 | 00 | 01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | प्रबंधक / उपप्रबंधक (NBFC विनियामक एवं अनुपालना) | 01 | 00 | 01 |
| 16. | प्रबंधक (ऋण एवं वसूली) | 01 | 00 | 01 |
| 17. | सहायक प्रबंधक (विधि)* | 01 | 01 | – |
| 18. | सहायक प्रबंधक (बिल) | 01 | 00 | 01 |
| 19. | सहायक प्रबंधक (आशुलिपिक) | 02 | 00 | 02 |
| 20. | एग्जीक्यूटिव (HR/Adm) | 01 | 00 | 01 |
| 21. | एग्जीक्यूटिव (IT) | 02 | 00 | 02 |
| 22. | सहायक एग्जीक्यूटिव (बिल एवं नगद) | 01 | 00 | 01 |
| 23. | सहायक एग्जीक्यूटिव (ड्राईवर) | 02 | 00 | 02 |
| 24. | सहायक | 06 | 00 | 06 |
| | **कुल** | **32** | **8** | **24** |

*महाप्रबंधक (वित्त), सहायक महाप्रबंधक (लेखा) एवं सहायक प्रबंधक (विधि) अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यरत हैं।

**कम्पनी सचिव की सेवाएँ कम्पनी सचिव फर्म से संविदा आधार पर प्राप्त की जा रही हैं।

अतिरिक्त मानव संसाधन की पूर्ति हेतु आउटसोर्सिंग / प्लेसमेंट ऐजेन्सी की सेवाएं ली जाती हैं।

# प्रमुख कार्य, प्रगति एंव विगत तीन वर्षों की तुलना

## ➢ प्रमुख कार्य

- कॉरपोरेशन द्वारा नियमित कार्य हेतु अब तक डिपोजिट नीति (Deposit Policy), ब्याज दर नीति (Interest Rate Policy), कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (Corporate Social Responsibility Policy), निवेश नीति (Investment Policy), ऋण नीति (Credit Policy), सतर्कता तंत्र/व्हिसिल ब्लोअर नीति (Vigil Mechanism /Whistle Blower Policy) एवं महिलाओं हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम) 2013 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन रोकथाम नीति लागू की गई है।

- कॉरपोरेशन में कम्पनी अधिनियम/अन्य विनियम/नियमों की पालना में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (Corporate Social Responsibility Committee), वित्त समिति (Finance Committee), लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee) एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination & Remuneration Committee) का गठन किया गया है।

## ➢ प्रगति

- कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी द्वारा वर्ष 2022–23 में अपने वार्षिक लाभ में से सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में खर्च करने योग्य अंश की राशि ₹ 6.08 लाख से राज्य के बैड़मिंटन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु जिम (GYM) आदि की स्थापना हेतु जयपुर डिस्ट्रिक बैड़मिंटन एसोसिएशन, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के परिसर में लगवाने का निर्णय लिया जाकर भुगतान किया गया।

- कॉरपोरेशन के द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन कर कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार ऋण देने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं निम्नानुसार ऋण संवितरित किया गया :–

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र.स. | विभाग का नाम | ऋण का विवरण | राशि | संवितरण तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 78.00 | 03.08.2023 |
| | | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 73.00 | 03.10.2023 |
| 2. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 85.00 | 08.09.2023 |
| | | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 90.00 | 26.09.2023 |
| 3. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 85.00 | 08.09.2023 |
| | | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 90.00 | 27.09.2023 |
| 4. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 80.00 | 08.09.2023 |
| | | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 90.00 | 27.09.2023 |
| 5. | राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड | सावधि ऋण | 118.00 | 08.09.2023 |
| | | सावधि ऋण | 73.00 | 26.09.2023 |
| 6. | जयपुर विकास प्राधिकरण | सावधि ऋण | 140.00 | 22.09.2023 |
| 7. | राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 230.00 | 10.10.2023 |
| 8 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण | 230.00 | 11.10.2023 |

## ➢ निदेशक मण्डल (Board of Directors) की बैठकों का सार–

वर्ष 2023–24 में अप्रैल से दिसंबर माह तक निदेशक मण्डल की 4 बैठकें आयोजित की गयीं जिनमें किये गए व्यवसाय के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं :–

- कॉरपोरेशन ने वर्ष 2023–24 के दौरान SBI Bank से ₹100 करोड़, INDIAN Bank से ₹100 करोड़ एवं UCO Bank से ₹ 50 करोड़ का ऋण प्राप्त किया ।
- कॉरपोरशन ने Inter-Corporate Deposits (ICDs) के तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) से ₹ 1000 करोड़ एवं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से ₹400 करोड़ की जमाएँ (ICDs) प्राप्त की गयी।
- कॉरपोरेशन को ₹ 300 करोड़ की शेयर पूँजी सरकार द्वारा, ₹ 130 करोड़ की शेयर पूँजी राजस्थान गंगानगर शुगर मिल (RSGSM) द्वारा एवं ₹ 130 करोड़ की शेयर पूँजी राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ (RSBCL) द्वारा जारी की गई जिससे कॉरपोरेशन की वर्तमान अंशपूँजी (Equity) राशि ₹ 1000 करोड़ हो गई।
- कॉरपोरेशन में महिलाओं हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम) 2013 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन रोकथाम नीति का अनुमोदन किया गया।
- सामाजिक उत्तरदायित्व मद पर खर्च करने के सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की अनुशंषा स्वीकृत की गयी।
- कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों को स्वीकृत ऋण का संज्ञान (take note) लिया गया।
- अंकेक्षकों द्वारा जारी किये गये ऑडिट आक्षेपों पर प्रबन्धन के आक्षेपवार लिखित उत्तर को स्वीकृति प्रदान की गयी।
- कम्पनी के वर्ष 2022–23 के अंतिम खातों को स्वीकृति दी गयी।

## ➢ तीन वर्षों की तुलना

(राशि लाख रू. में)

| क्र.सं. | वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धियां |
|---|---|---|---|
| | | ऋण वितरण | ऋण वितरण |
| 1 | 2021—22 | 140500.00 | 50500.00 |
| 2 | 2022—23 | 168500.00 | 35000.00 |
| 3 | 2023—24 | 185000.00 | 146200.00* |

*वर्ष 2023—24 के दौरान 31.12.2023 तक की उपलब्धि।

# बजट 2023–24

(रू. लाखों में)

| प्राप्तियाँ | | बजट प्रावधान (2023–24) | प्राप्तियाँ (31.12.2023 तक) |
|---|---|---|---|
| **I.** | **राजस्व** | | |
| 1 | ऋणों से ब्याज की प्राप्तियाँ | 31627.08 | 10156.90 |
| 2 | निवेश से प्राप्त ब्याज | 258.33 | 33.90 |
| | **योग I** | **31885.41** | **10190.80** |
| **II.** | **पूँजी** | | |
| 1 | राजकीय अंश | 60000.00 | 30000.00 |
| 2 | बॉण्ड उत्थापन/ऋण | 125000.00 | 25000.00 |
| 3 | डिपोजिट(राजकीय संस्थापन से) | 50000.00 | 140000.00 |
| 4 | ऋण भुगतान | 20000.00 | 0.00 |
| | **योग II** | **255000.00** | **195000.00** |
| | **कुल योग I+II** | **286885.41** | **205190.80** |
| | **व्यय** | **बजट प्रावधान (2023–24)** | **व्यय (31.12.2023 तक)** |
| **I.** | **राजस्व** | | |
| 1 | प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय | 292.64 | 96.06 |
| 2 | वित्त व्यय बॉण्ड उत्थापन व्यय सहित | 20000.00 | 6248.96 |
| 3 | बॉण्ड प्रक्रिया पर अन्य व्यय | 50.00 | 0.00 |
| 4 | अनुसंधान एवं विकास व्यय | 0.01 | 0.00 |
| 5 | सी.एस.आर में व्यय | 20.00 | 6.08 |
| | **योग I** | **20362.65** | **6351.1** |
| **II.** | **पूँजी** | | |
| 1 | फर्नीचर | 7.00 | – |
| 2 | कार्यालय उपकरण | 6.00 | – |
| 3 | ऋण | 185000.00 | 146200.00 |
| 4 | जमा भुगतान | 22000.00 | – |
| | **योग II** | **207013.00** | **146200.00** |
| | **कुल योग I+II** | **227375.65** | **152551.10** |

31.12.2023 तक के आँकड़े उपार्जित पद्धति पर दर्शाये गये हैं।

# वर्ष 2023–24 की विशेष उपलब्धियां

1. कॉरपोरेशन ने वर्ष 2023–24 के दौरान SBI Bank से ₹100 करोड़, INDIAN Bank से ₹ 100 करोड़ एवं UCO Bank से ₹ 50 करोड़ का ऋण प्राप्त किया ।

2. कॉरपोरेशन ने Inter-Corporate Deposits (ICDs) के तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) से ₹1000 करोड़ एवं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से ₹ 400 करोड़ की जमाएँ (ICDs) प्राप्त की गयी।

3. कॉरपोरेशन ने राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों को ₹ 1462 करोड़ रू. की राशि का सावधि ऋण/अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण सक्षम स्वीकृति के उपरांत वर्ष 2023–24 मे संवितरित किया गया।

# सार–संक्षेप

1. वर्ष 2012 में कॉरपोरेशन का गठन राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिये राजकीय कम्पनी के रूप में किया गया।

2. तत्पश्चात् वर्ष 2015 में कम्पनी का पुनर्गठन कर इसमें वित्तीय सेवाओं से संबधित उद्देश्य जोड़े गये। राज्य के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि को RSPF & FSCL में जमा कराने एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूँजी एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि से राज्य के अन्य राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये अधिकतम उपयोग किया जाना इस निगम का उद्देश्य है।

3. कॉरपोरेशन ने वर्ष 2023–24 में ₹ 250 करोड़ रू. की राशि का ऋण प्राप्त किया।

4. कॉरपोरेशन ने Inter-Corporate Deposits (ICDs) के तहत ₹1400 करोड़ की जमाएँ (ICDs) प्राप्त की गयी।

5. कॉरपोरेशन ने वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमो को ₹ 1462 करोड़ राशि का ऋण संवितरित किया है।

# दूरभाष निर्देशिका

| क्र.सं. | नाम | पद | सम्पर्क नम्बर | ईमेल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अखिल अरोरा, आईएएस | अध्यक्ष, RSPF & FSCL एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) | 0141—2227664 | rspfcl@rajasthan.gov.in |
| 2. | श्री नरेश कुमार ठकराल, आईएएस | प्रबंध निदेशक, RSPF & FSCL एवं शासन सचिव, वित्त (बजट) | 0141—2227934 | rspfcl@rajasthan.gov.in |
| 3. | श्री पवन जैमन | महाप्रबंधक (वित्त) | 0141—2227468 | rspfcl@rajasthan.gov.in |
| 4. | श्री राजीव गुप्ता | महाप्रबंधक (सिस्टम्स) | 0141—2708611 | rspfcl@rajasthan.gov.in |
| 5. | श्री पंकज जाँगिड़ | सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन) | 0141—2708611 | rspfcl@rajasthan.gov.in |
| 6. | श्री अशीष शर्मा | सहायक महाप्रबन्धक (लेखा) | 0141—2708611 | rspfcl@rajasthan.gov.in |
| 7. | श्री टीकम चन्द शर्मा | प्रबन्धक (लेखा) | 0141—2708611 | rspfcl@rajasthan.gov.in |
| 8. | श्री जगदीश प्रसाद शर्मा | प्रबन्धक (लेखा) | 0141—2708611 | rspfcl@rajasthan.gov.in |
| 9. | सुश्री कृति जोशी | कम्पनी सचिव | 0141—2708611 | rspfcl@rajasthan.gov.in |

पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय :

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड

फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

प्रथम तल, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, 2-2 ए,

झालाना डूंगरी, जयपुर (राजस्थान) 302004

दूरभाष : 91-141-2708611, ईमेल : rspfcl@rajasthan.gov. in